

न्यायालय उपनिष्ठाधिकारी विन्दकी जगद फतेहपुर

मुर्जो 5/2007 पारा 143 अधिनियम

मौजा-कोट परगना कोडा तहसील विन्दकी जिला फतेहपुर

स्वच्छोरेप्रसाद, विधिन विहारी महाविद्यालय की ओर द्वारा सुनम
ग्रामोपयोग संस्थान एस0आर0जी0 24कमपुर नगर द्वारा मही प्रबंधक
आदि त्व पाण्डेय पुत्र स्व0श्री विधिन विहारी पाण्डेय निज्जि ए पर0
कोडा तहसील विन्दकी जिला फतेहपुर

वाम

ग्राम सभा जीरेप्रसाद श्रीज ए परगना कोडा तह0विन्दकी

आदेश

प्रश्नगत वाद वादी स्वच्छोरेप्रसाद विधिन विहारी महाविद्यालय
की ओर द्वारा सुनम अदि त्व पाण्डेय निवासी कोट परगना कोडा तह0
विन्दकी जिला फतेहपुर नेज्जि पारा 143 अधिनियम
योजित कर निवेदन किया है कि छात्री वर्ष 1410-1415 के छात्रा
सं0 14, 31, 275, 316, 317 में गाटासं0 620 अंकित है जिसका वादी
ने जीरेपे विरुद्ध पत्र दिनांक 3-9-07 को प्रेष किया है। वादी उक्त
भूमि का भूमिदार है। विगत वर्ष छात्रा सं0 620 में कृषि
कार्य नहीं होता परती सा में पड़ी रही। गाटा सं0 620 ने सम्पूर्ण
रचना 1.1750 है उक्त विद्यालय की स्थापना होना है। वादी ने यह
वाक्ता की है कि उक्त छात्रा सं0 14, 31, 275, 316, 317 में अंकित
गाटा सं0 620 को अधिकृत घोषित किया जाये।

निम्नानुसार तहसीलदार विन्दकी से आख्या ली गयी। तहसील-
दार विन्दकी की आशयित आख्या दिनांक 6-10-07 पत्रावली में
संलग्न है।

वर्षों के विद्यान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली
में उपलब्ध अभिलेखागत अक्तोका किया गया। पत्रावली में संलग्न
छात्री वर्ष 1410-1415 के छात्रा सं0 317, 14, 31, 275, 316
ने संख्या : 620ए, 620ख, 620ग, 620घ, 620ङ वादी के नाम सज्जणीय
भूमिदार संख्या है। तहसीलदार की आख्या में प्रश्नगत भूमिदार
तहसीलदार निमाणाधीन है। अदि कार्यवाही हो रहा है। तहसील-
दार विन्दकी ने अधिकृत घोषित करने वाली की संस्तुति की है।
उपरोक्त विवेका के आधार पर वाद स्वीकार कर प्रश्नगत भूमि
को अधिकृत घोषित किया जाने योग्य है।

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोट परगना कोडा तह0

(Handwritten signature)

-2-

बिन्दकी जिला फतेहपुर की छत्तौनी वर्ष 1415-1416 को छाता
 सं० 317 के गाटा सं० 620 व क्षेत्रफल 0.4810 कछाता सं० 316 के
 गाटा सं० 620 व क्षेत्रफल 0.1750 व छाता सं० 275 के गाटा सं०
 620 व क्षेत्रफल 0.1750 व छाता सं० 31 के गाटा सं० 620 व क्षेत्रफल
 0.1700 व छाता सं० 14 के गाटा सं० 620 व क्षेत्रफल 0.1750
 कुल क्षेत्रफल 1.1760 गैर कृषि प्रयोज्य हेतु घोषित किया जाता
 है। बाबू अमरदरामद पत्रावली घोषित अनुसार है।

ए. - 346/14

दिनांक 6-11-2007

उप जिलाधिकारी बिन्दकी
अमरद फतेहपुर

सत्य प्रतिष्ठा, जगजग

